

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1542/ग्यारह-9(183)/11-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(103)-2013
लखनऊ:: दिनांक:: 21 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 22 नवम्बर, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 138 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
139	सभी प्रकार की सेनिटरी नेपकिन, बेबी डाइपर और एडल्ट डाइपर

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव